UPLK010000772004

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट लखनऊ।

श्री दिनेश कुमार मिश्रा (एच0जे0एस0)

सत्र परीक्षण संख्या —500854 / 2004

उ0प्र0 राज्य

बनाम

भईया खां उर्फ सलीमउल्ला खां पुत्र हामिद खां निवासी बख्तयार नगर, थाना मलिहाबाद जिला लखनऊ।

मु0अ0सं0 314 / 2002
अन्तर्गत धारा 354,323,504,506 भा0दं0सं0
धारा 3(1)11 एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट
थाना—मलिहाबाद, जिला— लखनऊ।

निर्णय

प्रश्नगत आपराधिक प्रकरण में थाना मलिहाबाद जिला लखनऊ की पुलिस द्वारा थाना हाजा के मु0अ0सं0 नं0 314 / 2002 अन्तर्गत धारा 354, 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0 एवं धारा 3(1)11 एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट के मामले में अभियुक्त भईया खां उर्फ सलीमउल्ला के विरूद्ध व मु0अ0सं0 नं0 314 / 2002 अन्तर्गत धारा 354, 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0एवं धारा 3(1)11 एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया, जिस पर तत्काकलीन विशेष अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सी0बी0आई0 (ए0पी0), लखनऊ द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया, तथा मामले को सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाकर दिनांक 20.10.2004 को सत्र सुपुर्द किया गया। तदोपरान्त प्रकरण विचारण हेतु श्रीमान सत्र न्यायाधीश, लखनऊ के आदेश से अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा छोटे लाल द्वारा दिनांक 01.10.2002 को प्रभारी निरीक्षक, महिलाहाबाद, लखनऊ को सम्बोधित इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 27.09.2002 को समय करीब पांच बजे शाम मेरी पत्नी बेला मुझे पानी लेकर हाफिज के बाग में काम कर रहा था। हामिद के बाग से होकर जा रही थी कि हामिद खां जो मेरे ग्राम के है, का लड़का भइया खां जो वहीं बाग में मौजूद था। मेरी पत्नी को

बेइजत्ती करने की नियत से हाथ पकड़ा। मेरी पत्नी चिल्लाई तो उसे डन्डे से मारने लगा तथा गालियां देता रहा। शो गुल व चिल्लाने पर मैं छुड़ाने दौड़ा तो हमें भी मारने लगा। जब हम लोग चिल्लाये तो मेरे गांव के रमेश व मेरा भाई बाबू लाल व हाफिज अली व अन्य बहुत से लोग दौड़े तो जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। मेरी रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

वादी द्वारा दी गयी उक्त तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना हाजा पर एन0सी0आर0 नं0 164/2002 अंतर्गत धारा 323, 504 भा0दं0सं0 दर्ज हुआ और विवेचना एच0सी0/एस0आई0 श्री सभाजीत सिंह के सुपुर्द की गयी।

विवेचक द्वारा दौरान विवेचना गवाहों के बयान लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा विवेचना से सम्बन्धित साक्ष्य का संकलन कर विवेचना की समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरान्त अभियुक्त भईया खां उर्फ सलीमउल्ला के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 354, 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0 एवं धारा 3(1)11 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्त भईया खां उर्फ सलीमउल्ला के विरूद्ध धारा 354, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)11 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट मे दिनांक 20.04.2005 को आरोप विरचित किया गया, तथा आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार किया गया तथा परीक्षण की मॉग की गयी।

अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में पी0 डब्लू0–1 पीड़िता बेला, पी0डब्लू0–2 के रूप में वादी मुकदमा छोटे लाल, पी0डब्लू0–3 के रूप में धनीराम, पी0डब्लू0–4 के रूप में चिकित्सक साक्षी डा0 पी0एस0 अरोरा व पी0डब्लू0–5 के रूप में रामेश को परीक्षित कराया गया है। इसके अलावा अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में व एन0सी0आर0 को प्रदर्श क–2, जी0डी0 की कार्बन प्रति को प्रदर्श क–3 के रूप में, चोटहिल बेला की आघात आख्या को प्रदर्श क–4 के रूप में व चोटहिल छोटे लाल की आघात आख्या को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किये

गये हैं।

अभियुक्त भईया खां उर्फ सलीमउल्ला का बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. अंकित किया गया। अभियुक्त ने घटना को गलत बताते हुए तथ्य के साक्षियों को झूठा व गलत बयान देना कहा गया है तथा यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 27.09.2002 समय दोपहर 2 से 3 बजे दिन में श्रीमती बेला आम के बाग में लकड़िया चुरा रही थी। जब काम करने वाले लोगों ने मना किया तो श्रीमती बेला अपने पति को बुला लाई, जिसके बाद दोनों लोग काम करने वालों से झगड़ा करने लगी। जब शोर सुनकर मैं पहुंचे तो मना किया कि लकड़ियां चुराना नहीं, चाहिए था मांग लिया होता तो दे दिया जाता, अब बिना बताये लकड़िया न चुराना, इसी बात के बाद थाने में शिकायत किया था। मैंने व काम करने वाले लोगों ने पुलिस को यही बयान दिया था। अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से डी0डब्लू0–1 के रूप में श्रीमती कमला, डी0डब्लू0–2 के रूप में गुड्डू, डी0डब्लू0–3 के रूप में नन्हके व डी0डब्लू0–4 के रूप में मुन्ना को परीक्षित कराया गया है।

बचाव पक्षी की ओर से डी0डब्लू0–1 श्रीमती कमला ने अभिसाक्ष्य दिया है कि मेरे भाई भईया खान मुझे गवाही के लिए बताया था। बेला मेरे गांव से दो किमी दूर चमारन गांव में रहती हैं। घटना का समय दिन का 12.00 बजे दिन था। मैं भईया खान के बाग में 40 साल से काम कर रही हूॅ। बाग में बेला लकड़ी चुरा रही थी। मैंने व सुकरू व अन्य लोगों ने बेला को लकड़ी चुराने से मना किया। जब हमने मना किया तो बेला गाली बकने लगी और पति छोटे लाल को बुला लिया। वह भी गाली बकने लगे। तब मैंने अपने भईया खां, जो 100 मीटर की दूरी पर बाग में खड़े थे, को बुलाया था तो उन्होंने बेला व छोटे लाल को कोई गलत बात नहीं कही न ही कोई जातिसूचक शब्द कहे। थाने पर हम लोग गये थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। पुलिस ने गाली देकर भगा दिया और हमारा कोई बयान नहीं लिया। मैं भईया खान को लगभग 40 वर्षों से जानती हूॅ। मैं जो गवाही देने आयी हूॅ वह किसी लालच में नहीं आई हूॅ।

अभियोजन पक्ष द्वारा बचाव साक्षी से की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि घटना अक्टूबर के महीने की है। दिन इतवार का समय 12.00 बजे दिन का है। तारीख हमें याद नहीं है। मैं भईया खान के बाग में काम कर रही

थी। मैं भईया खान को बचाने के लिए उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठकर आई हूॅं।

बचाव पक्षी की ओर से डी0डब्लू0–2 गुड्डू ने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना का दिन, महीना व सन याद नहीं है। घटना लगभग 22 वर्ष पुरानी है। घटना मेरे सामने हुई थी। मैं भईया खान के बाग में काम कर रहा था। तीाी बेला जो चमारन टोला में रहती है, इस बाग से लकड़ी चुरा रही थी। हमने, कमला व सुकरन व अन्य लोगों ने मना किया तो बेला गाली कने लगी। उसके बेला के पति छोटे लाल को बुला लिया। उसने भी हम लोगों को गालियां दिया। उसके बाद भईया खान को बताया गया तब उनहोंने मामले को रफा दफाा कर दिया, लेकिन उसके बाद हम लोग थाना मलिहाबाद गये और हम लोगों की सूचना नहीं लिखी गयी और न ही कोई बयान लिया गया। मैं भईया खान के बाग में लगभग 30 वर्षों से काम कर रहा हूॅं। भईया खान का चरित्र व व्यवहार बहुत अच्छा हैं कभी भी हम लोगों को उनसे कोई शिकायत नहीं है। इसी वजह से हम अब न्यायालय में गवाही देने आया हूॅं। मैं किसी लालच में नहीं हूॅं। जो मैंने घटना के समय देखा वही आज मैं न्यायालय में बता रहा हूॅं। भईया खां ने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें झूठा फंसाया गया है।

अभियोजन पक्ष द्वारा बचाव साक्षी से की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि घटना 22–23 साल पुरानी है। भईया खान के बाग में काम कर रहा था। मेरे भईया खां से संबंध बहुत अच्छे हैं। उन्हीं के समर्थन में बयान देने आया हूॅं। मैं कोई समाजिक कार्यकर्ता नहीं हूॅं, मैं केवल मजदूर हूॅं। मैं किसी लोभ लालच में बयान नहीं दे रहा हूॅ और न ही कोई डर की वजह से बयान दे रहा हूॅं।

बचाव पक्षी की ओर से डी0डब्लू0–3 नन्हके ने अभिसाक्ष्य दिया है कि मैं आज गवाही देने भईया खान के साि आया हूॅं। अदालत से कोई सम्मन नहीं मिला। मैं भईया खां के बाग में 30 साल से काम कर रहा हूॅ घटना दिन के 12.00 बजे की है। दिन, महीना व वर्ष मुझे याद नहीं हे, लेकिन घटना के बारे में मैं जानता हूॅं। भईया खान के बाग से बेला लकड़ी चुरा रही थी, जिसको हमने, कमला, गुड्डू व सुकरू आदि ने बेला को लकड़ी चुराने से मना किया तो बेला गाली बकने लगी और अपने पति छोटे लाल को बुला लिया और धमकी दिया। उस बाग में भईया खान मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि लकड़ियां चुराना

नहीं चाहिए, मांग लेती। हम लोग थाने भी गये, लेकिन हम लोगों का पुलिस न कोई बयान नहीं लिया और झूठा मुकदमा भईया खां पर दर्ज करा दिया। भईया खां का आचरण हम लोगें के प्रति बहुत अच्छा है। कभी हम लोगों को कोई शिकायत नहीं है। मैंने बहुत पहले ही कहा था कि जब न्यायालय में गवाही की बात हो तो हमें बुला लेना। इसलिए आज हम भईया खां के साथ न्यायालय में आया हॅू। जो मैंने घटना के समय देखा िाि वहीं आज बता रहा हॅू।

अभियोजन पक्ष द्वारा बचाव साक्षी से की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि मुझे न्यायालय से कोई सम्मन नहीं मिला था। मुल्जिम के कहने पर आया हॅू। मुल्जिम मेरे जानने पहचानने वाले हैं। मेरे उनसे संबंध अच्छे हैं। इसलिए मैं उनके साथ आया हॅू।

बचाव पक्षी की ओर से डी0डब्लू0–4 मुन्ना ने अभिसाक्ष्य दिया है कि मेरा घर भईया खां के बाग के सामने है। घटना का दिन, समय याद नहीं है। सिर्फ इतना जानता हॅू कि दिन की घटना है। छोटे लाल से मेरी दोस्ती है। घ ाटना के वक्त शोरगुल होने पर मैं भी बाग में घास काट रहा था। श्रीमती बेला लकड़ी व पत्ते काट रही थी। इसी बात को लेकर भईया खां के बाग में काम कर रहे मजदूरों ने मना किया तो श्रीमती बेला मजदूरों से लड़ रही थी। बाग में छोटे लाल ने हमेश कहा था कि तुम मेरी तरफ से गवाही देना, तब मैंने कहा था कि मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। भईया खां की कोई गलती नहीं है। झूठा फंसाया गया है। मैंने भइ्रया खां से कहा था कि जब मेरी जरूरत पड़े बुला लेना। इसीलिए आज मैं गवाही देने आया हॅू।

मुझे कोई सम्मन नहीं मिला है। हमारे, भईया खां से अच्छे संबंध हैं। मैं गवाही उन्हीं के साथ देने आया हू। मैं कोई पैसे, रूपये के लालच में गवाही देने नहीं आया हॅू और न ही किसी डर की वजह से गवाही देने आया हॅू।

मैने विद्वान विशेष लोक अभियोजक एस.सी./एस.टी. तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस को विस्तार से सुना तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक है कि अभिकथित घटना वाले दिन समय व स्थान पर मुल्जिमान द्वारा वादी मुकदमा की पत्नी के साथ छेड़छाड़ किया तथा विरोध करने पर वादी व उसकी पत्नी को जातिसूचक गालियां देते हुए मारा पीटा व जान से मारने की धमकी दिया।

न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष परीक्षित अभियोजन

साक्षीगण के अभिसाक्ष्य से अभियोजन कहानी को साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

जबकि बचाव पक्ष की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभिकथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज कराये जाने के तथ्य को स्पष्टीकृत नहीं किया गया है। प्रकरण के विवेचक द्वारा सही ढंग से प्रकरण की विवचेना न करते हुए बालाबाला (सरसरी तौर पर) कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं तर्कों के आलोक में अनुरोध किया कि संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

अभिकथित घटना दिनांक 27.09.2002 समय 05.00 बजे शाम की कही जाती है, जिसके संबध में वादी द्वारा दिनांक 27.09.2002 समय 22.00 बजे थाना मलिहाबाद में घटना से संबंधित एन0सी0आर0 नं0 164/2002 दर्ज कराया गया है। जिसे अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–3 धनीराम वर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रदर्श क–2 के रूप में साबित करते हुए स्पष्ट कथन किया है कि उक्त एन0सी0आर0 नं0 164/2002 उनके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर एस0आई0 सभाजीत सिंह को जांच हेतु दिया था। वादी मुकदमा द्वारा अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि घटना वाले दिन ही रिपोर्ट लिखाने गये थे। तब बता आये थे, फिर डाक्टरी हुई। रिपोर्ट बाद में लिखाई, तारीख लिखी हुई होगी। डाक्टरी उसी दिन बलरामपुर अस्पताल में हुई थी। इस तरह स्पष्ट है कि अभिकथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से नहीं दर्ज करायी गयी है। ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट को विलंब से दर्ज कराया जाना नहीं कहा जा सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने मे ग्रहण की जाती है। संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित प्रत्येक सूचना यदि थाना प्रभारी को मौखिक रूप से दी जाती है, तो उसके द्वारा लेखबद्ध कर ली जायेंगी, और सूचना देने वाले को पढ़कर सुनायी जायेगी, और प्रत्येक ऐसी सूचना पर, चाहे वह लिखित रूप मे दी गयी हो या पूर्वोक्त रूप से लेखबद्ध की गयी हो, उसकी प्रविष्टि पुस्तक में की जायेगी। इसमें सूचना देनें के क्या क्या प्रारूप होंगे, क्या क्या सूचनायें आवश्यक हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं है। विधि में भी कोई अपेक्षा नही की गयी है कि वादी प्रत्येक सूचना का सम्पूर्ण विवरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कराये। दण्ड प्रक्रिया संहिता

की धारा 154 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित दी गयी सूचना का यह आशय है कि संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर अन्वेषण अभिकरण सक्रिय हो सके। इसका उद्देश्य अन्वेषण अभिकरण को क्रियाशील बनाना है जो जानकारी के अभाव में सम्भव नहीं है। इस परिस्थिति पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखते समय सूचनाकर्ता की मानसिक स्थिति इस प्रकार की नहीं होती है कि वह एकाग्रचित्त हो सके, तथा घटना का प्रत्येक सूक्ष्म विवरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखा सके। **शम्भूदास उर्फ विजयदास बनाम असम राज्य 2010(71) ए.सी.सी. 367 एस0 सी0** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि धारा 154 दं0 प्र0 सं0 में लिखायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट साक्ष्य का सारवान अंश नही है। इसका उपयोग सूचनाकर्ता के कथन को खण्डन करने के लिये अथवा पुष्ट करने के लिये किया जा सकता है।

बचाव पक्ष की ओर से इस बिन्दु पर भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में घटना के हेतुक को अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकृत नहीं किया गया है। मैं अभियुक्त के उपरोक्त तर्क से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अभियोजन प्रांरभ से ही यह कह करके आ रहा है कि वादी मुकदमा की पत्नी जब वादी के लिए पानी लेकर भईया खां के खेत से जा रही थी, तब भईया खां ने वादी की पत्नी को आवाज देकर रोका, परंतु उसके द्वारा न रूकने पर उसे बेइज्जत करने की नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और वादी की पत्नी के शोर करने पर वादी के वहां पहुंचने पर दोनों का गालियां देते हुए मारापीटा व जान से मारने की धमकी दिया। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–1 पीड़िता बेला व पी0डब्लू0–2 वादी मुकदमा छोटे लाल द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभिकथित घटना वाले दिन समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा वादी की पत्नी बेला को बेइज्जत करने की नियत से उसका हाथ पकड़ा और शोर करने पर वादी के घटना स्थल पर पहुंचने पर दोनों को गालियां देते हुए मारा पीटा व जान से मारने की धमकी दिया। जिसके आधार पर थाना मलिहाबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। वास्तव में हेतुक एक ऐसा मानसिक आवेग एवं विचार है, जो सामान्यतः अपराधी के मस्तिष्क में छिपा होता है और यही अपराधी को आपराधिक कृत्य करने के लिये प्रेरित करता है। किसी अन्य व्यक्ति के लिये यह सम्भव नही है कि वह किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क के विचारों का आकलन कर सके। न्यायालय को इस

तथ्य की समीक्षा करते समय इस वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिये। साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि नैतिकता के ह्रास के कारण तुच्छ बातों पर प्रायः आपराधिक कृत्य किये जाते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण में अभियोजन द्वारा घटना के हेतुक को सम्यक ढंग से स्थापित किया गया है। यहीं पर यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि ऐसे मामले मे जहाँ कि घटना अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से साबित होती है, उन मामलों में घटना के ''हेतुक'' को साबित किया जाना आवश्यक नहीं होता है, और न ही घटना का ''हेतुक'' विशेष महत्व रखता है। इस सन्दर्भ में विधि व्यवस्था–**भीमप्पा चन्दप्पा होसमानी एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका (2007) –1 ए.सी.सी.किमिनल 456 सुप्रीम कोर्ट** सुसंगत है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य सत्य एवं विश्वसनीय पाये जाते हो तो ऐसे मामलों में ''हेतुक'' के साबित न होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन कहानी पर नही पड़ता है। इसी मामले में माननीय न्यायालय ने आगे यह भी अबधारणा व्यक्त की कि अभियुक्तगण का दोष साबित किये जाने हेतु ''हेतुक'' का साबित किया जाना आवश्यक नहीं है,बल्कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों की समीक्षा के समय ''हेतुक''के अस्तित्व को भी एक परिस्थिति के रूप में मस्तिष्क में रखा जाना चाहिये तथा यदि परीक्षित साक्षीगण का साक्ष्य सत्य एवं विश्वसनीय है तो हेतुक के साबित न होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन कथानक पर नही पड़ता है। **स्टेट ऑफ यू0पी0 बनाम नाहर सिंह 1998 सी. आर.एल.जे. 2006 एस.सी. व श्रीमती ओमवती बनाम महेन्द्र सिंह ए.आई.आर. 1981 एस.सी.1281** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहॉतक कह दिया है कि अभियोजन को हेतुक का साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य नही है क्योंकि अपराध कारित करने का हेतुक अभियुक्तगण के अन्तःकरण में छिपा रहता है और इसका ज्ञान अन्य किसी को नही हो सकता। इसी प्रकार विधि व्यवस्था **सुरेशचन्द्र वाहरी बनाम विद्याराज ए0 आई0 आर0 1994, एस0 सी0 2420** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि अपराध कारित करने में हेतुक एक घटक होता है, जो अपराध कारित करने के लिये प्रेरित करता है। यदि हेतुक स्वच्छ रूप से साबित किया गया है, तो अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध साबित करने के लिये, जिसके लिये वह आरोपित किया गया है, एक सहायक तथ्य है।

न्यायालय को अब यह देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष परीक्षित अभियोजन साक्षीगण के अभिसाक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

पी0डब्लू0 1 बेला परीक्षित हुई। न्यायालय में दिये शपथपूर्व बयान में इस साक्षी ने कहा कि करीब 05 वर्ष पहले की घटना है। मेरा आदमी हाफिज की बाग में काम कर रहे थे। मैं अपने पति के लिए पानी लेकर जा रही थी। दोपहर के करीब 03.00 बजे का समय होगा। मैं अकेली थी। भईया खान अपनी बाग में थे। इनकी बाग रास्ते में पड़ती है। हमसे कहा कि बेला यही रूका, जब मैं नहीं रूकी तब इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह मुझे डण्डे से मारने लगे। जब हम चिल्लाये तो मेरे पति दौड़कर आ गये तो इन्होंने मेरे पति को भी मारा। जब मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो इन्होंने कहा कि ज्यादा बोलोगी तो जान से मार देंगे और कहा कि साली चमारिन हमारा क्या कर लेगी। इन्होंने मेरे पति को डण्डा मारा, जिससे मेरे पति के आंखों में चोट आ गयी। दवा दी तब ठीक हुई। फिर मैं घर चली आयी। मैं रिपोर्ट कराने थाने नहीं गयी थी। गांव के सियाराम ने रिपोर्ट लिखाई। मारपीट में मेरे इतनी चोट आयी थी कि अभी तक ठीक नहीं हुयी। मेरे टांगे फूल गयी थी। मेरी चोटों की डाक्टरी हुयी थी।

प्रतिपरीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में गवाह ने कहा कि मुझे नहीं पता कि घटना की रिपोर्ट मेरे पति ने किस तारीख को लिखाई। पांच वर्ष पहले की बात है क्या पता कब लिखायी। सियाराम ने रिपोर्ट में क्या लिखा इसकी जानकारी नहीं है। भइया खान के पिता का नाम हामिद खान। दरोगा जी को हामिद खां नाम बताया था। उन्होंने हामिद खां कैसे लिख लिया, वजह नहीं बता सकता। मैं बाग के अंदर से मेड़ मेड़ होकर जा रही थी। मेड़ इन्हीं के बाग में है। आगे एक प्रश्न के उत्तर में जिरह के पेज नं0 2 पर गवाह ने कहा कि जब मुल्जिम ने मेरा हाथ पकड़ा था, तब मेरी चुड़िया टूट गयी थी। मैं मौके से चुड़िया उठाकर नहीं लायी थी। दरोगा जी को चूड़ी टूटने वाली बतायी थी। अगर उन्होंने यह बात नहीं लिखा है तो मै इसका कारण नहीं बता सकती हूॅ। यह कहना गलत है कि हमिद के बाग से हम लोग लकड़िया तोड़ रहे हो और उन्होंने मना किया हो, इस कारण मैंने झूठी रिपोर्ट लिखाई हो। यह भी कहना गलत है कि हमारे घर में बकरियां हैं। हमिद खां ने बाग से पत्ते तोड़ने के लिए मना किया हो, इसीलिए मैंने झूठा मुकदमा बना दिया हो।

साक्षी पी0डब्लू0–2 वादी मुकदमा छोटे लाल परीक्षित हुए। न्यायालय में दिये शपथपूर्व बयान में इस साक्षी ने कहा कि लगभग 6 साल पहले की घटना है। शाम के 05.00 बजे का समय था। मैं आफिज अली के बाग में नसर्री का काम कर रहा था। मेरी औरत बेला मेरे लिये पानी लेकर आ रही थी। जब वह भईया खान के बाग में पहुंची तो भईया खान ने मेरी औरत को नाम लेकर बुलाया, न रूकने पर भईया खान ने मेरी औरत को गाली और बुरी नियत से पकड़ लिया तब मेरी औरत चिलाने लगी। मैं आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा तब मुझको भी डण्डों से मारने लगे और कहने लगे कि ज्यादा बोलेगे तो जान से मार देंगे। शोर सुनकर रमेश आ गये, बाबू आ गये। हाफिज अली और बहुत से लोग आ गये। मुझसे कहा कि चमरिया क्या करोगे ज्यादा बोलोगे तो जान से मार देंगे। साक्षी ने तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है।

प्रतिपरीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में गवाह ने कहा कि घटना 22 तारीख की है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूॅ। मुझे महीना और सन याद नहीं है। इस घटना की रिपोर्ट मैंने सियाराम से लिखाई थी। उसके बाद उसे थाने ले गया था। रिपोर्ट लिखाने वाले दिन रात में बलरामपुर अस्पताल में मेरी डाक्टरी हुई थी। यह कहना गलत है कि डाक्टरी दूसरे दिन हुई हो। मेरी चोटों से खून नहीं निकला था। जो घटना घटित हुई थी वह मैंने बता दिया था। लिखित तहरीर घटना के दो तीन दिन बाद दी थी। जिस बाग में मैं काम कर रहा था, उस बाग में जाने के लिए भईया खां, नौशाद की बाग से था। मेरी व मेरी बीबी को जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया था। अगर तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श क–1 में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किये जाने की बात न लिखी हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता हूॅ। मैं जाति का चमार हूॅ। अगर मेरी तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श क–1 में मैं चमार जाति का हूॅ। तो इसे लिखने वाले ने नही लिखा होगा। मुल्जिम भईया खां के पिता का नाम हमिद खां है। मेरी बीबी चुड़िया पहनती थी। मुझे नहीं याद है कि मेरी बीबी घटना वाले दिन घटना के समय चूड़िया पहने थी या नहीं। एक प्रश्न के उत्तर में जिरह के पेज नं0 3 पर गवाह ने कहा है कि मैंने अपनी पत्नी के हाथों में चोट आयी थी या नहीं यह देखा नहीं था। दरोगा जी को मैं मौके पर ले गया था। घटना वाले दिन मैं मजदूरी करने सुबह 08.00 बजे चला गया था। मैं नर्सरी में ठेकेदारी पर काम करता हूॅ। यह कहना गलत है कि मेरी पत्नी के साथ मुल्जिमान ने कोई छेड़ खानी न की और न मारपीट की हो और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग न किया

हो। पुलिस वालों ने मुझसे एक बार पूछतांछ की थी और मैंने उन्हें बता दिया था कि कौन–कौन बचाने आया था। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना कारित न हुई हो। यह भी कहना गलत है कि नेता लोगों के कहने पर झूठी रिपोर्ट लिखा दी हो।

पी0डब्लू0 5 रमेश परीक्षित हुए। न्यायालय में दिये शपथपूर्व बयान में इस साक्षी ने कहा कि घटना लगभग 17–18 वर्ष पूर्व समय करीब 05.00 बजे शाम को छोटे लाल को भईया खान मार रहे थे। मैं अपने बाग की ओर जा रहा था तब देखा था। छोटे लाल व बाबू लाल दोनों भाई हैं। छोटे लाल, हाफिज अली के बाग में काम करकर रहे थे। छोटे लाल की पत्नी का नाम बेला है। मैंने ये देखकर फिर छोटे लाल के घर जाकर बाबू लाल का बताया था कि भईया खान, छोटे लाल को मार रहे है। मैं बाबू लाल को ये बात बताकर चला गया था। भईया खान को मैंने डण्डे व लात से मारते देखा था। मैंने सिर्फ मारते देखा था, गाली आदि देते नही सुना था।

प्रतिपरीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में गवाह ने कहा कि छोटे लाल और भईया खां दोनो मेरे गांव के रहने वाले है और दोनों से मेरी बातचीत होती है। मैंने छोटे लाल को मारखाते देखा था उसकी पत्नी को मार खाते नहीं देखा था। न्यायालय में उपस्थित भईया खां को मैं पहचनता हूँ। यह कहना गलत है कि मैं भईया खान से मिलकर व उनके दबाव में झूठी गवाही दे रहा हूँ।

पी0डब्लू0 4 चिकित्सक साक्षी डा0 पी0एस0 अरोरा परीक्षित हुए। न्यायालय में दिये शपथपूर्व बयान में इस साक्षी ने कहा कि मैं दिनांक 28.09. 2022 को बहैसियत ई0मए0ओ0 बलरामपुर अस्पताल में तैनात था उसी दिन प्रातः 03.20 बजे बेला का व समय 03.30 बजे छोटे लाल के शरीर पर आयी चोटों का निरीक्षण किया था। वरवक्त परीक्षण मजरूबा बेला के शरीर पर निम्न चोटें पाई गयी थीः–

1–निलगू निशान 10 सेमी x 5 सेमी दाहिनी जांघ पर बाहर की तरफ घुटने से 15 सेमी उपर।

2–निलगू निशान 6 सेमी x 5 सेमी बांयी जांघ पर बाहर की तरफ घुटने से 8 सेमी उपर।

3–सीने व चेहरे तथा बांये हाथ में दर्द की शिकायत, लेकिन कोई जाहिरा चोट नहीं थी।

रायः–मेरी राय में मजरूबा के शरीर पर आयी सभी चोटे साधारण एवं एक दिन

पुरानी थी, जो किसी कुन्दायल से आना संभव थी।

वरवक्त परीक्षण मजरूबा छोटे लाल के शरीर पर निम्न चोटें पाई गयी थी:—

1—निलगू निशान 3 सेमी x 3 सेमी चेहरे पर बांयी तरफ आंख से नीचे।

2—निलगू निशान 5 सेमी x 2 सेमी दाहिनी भुजा पर बाहर की तरफ कलाई से 5 सेमी उपर।

3—निलगू निशान 5 सेमी x 2 सेमी दाहिने बटक पर पीछे की तरफ

4—निलगू निशान 6 सेमी x 2 सेमी दाहिनी जांघ पर पीछे की तरफ चोट न0 3 से 6 सेमी नीचे।

5—निलगू निशान 12 सेमी x 3 सेमी दाहिनी जांघ पर पीछे बाहर की ओर घ ुटने से 16 सेमी उपर।

चोटहिल दाहिने हाथ ओर बटक पर दर्द बता रहा था, लेकिन कोई जाहिरा चोट नही थी । मेरी राय में चोटहिल की शरीर की सभी चोटें साधारण एवं दिन पुरानी थी, जो किसी कुन्दालय से आना संभव थी।

और दोनों की आघात आख्या तैयार किया था, जिसे साक्षी क्रमशः प्रदर्श क—4 व प्रदर्श क—5 साबित किया है।

प्रतिपरीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में गवाह ने कहा कि चोटहिल बेला व छोटे लाल से संबंधित चिट्ठी मजरूबी संबंधित होम गार्ड लेकर आये थे और चिट्ठी मजरूवी के पीछे ही परीक्षण रिपोर्ट तैयार की गयी थी, जो पत्रावली में शामिल है। चिट्ठी मजरूबी में 3 चोटें अंकित थी, परंतु मुआयने में 5 चोटें पायी गयी, जिनका अंकन मेरे द्वारा परीक्षण रिपोर्ट में किया गया है। बेलावती के शरीर पर दोनों हाथों में कोई जाहिरा चोट नहीं थी। दोनों चोटहिलों के शरीर पर कोई खून आलूदा चोटें नहीं थी। नीलगू निशान के चोटें थी। दोनों मजरूबों के शरीर पर आयी चोटें गिरने व रगड़ने से आना संभव नहीं थी।

इस तरह उपरोक्त तथ्य के तीनों साक्षीगण के बयानों में आया है कि मुल्जिम द्वारा जब वादी मुकदमा की पत्नी बेला अभिकथित घटना वाले दिन, समय व स्थान पर अपने पति के लिए पानी लेकर मुल्जिम की बाग से होकर जा रही थी तो मुल्जिम ने वादी की मुकदमा की औरत को नाम लेकर बुलाया। न रूकने पर मुल्जिम भईया खां ने वादी मुकदमा की पत्नी को गाली दिया और

बुरी नियत से पकड़ लिया तब वादी की पत्नी चिल्लाई तो आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा तो मुल्जिम ने गाली गुप्ता देते हुए डण्डों से वादी मुकदमा को मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी दिया। यह तथ्य असंदिग्ध रूप से साबित होना पाया जाता है। इसका समर्थन मजरूबान की चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 से होता है, जिसे संबंधित डा0 पी0एस0 अरोरा द्वारा साबित किया गया है। प्रतिपरीक्षा में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में चिकित्सक साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मजरूबान के शरीर पर जो चोटें बरवक्त परीक्षण पायी गयी थीं, जिनका उल्लेख उनके द्वारा चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 में किया गया है, वे गिरने व रगड़ने से आनी संभव नहीं थी, जिससे स्पष्ट है कि मजरूबान के शरीर पर आयी चोटें मुल्जिम द्वारा मारपीट के दौरान पहुंचायी गयी थी।

बचाव पक्ष की तरफ से एक तर्क यह भी रखा गया कि प्रश्नगत प्रकरण में परीक्षित साक्षीगण हितबद्ध साक्षीगण है। कोई स्वतंत्र साक्षीगण परीक्षित नहीं कराया गया है। यह सही है कि तथ्य के दोनों साक्षीगण पी0डब्लू0–1 बेला व पी0डब्लू0–2 वादी मुकदमा छोटे लाल आपस में पति–पत्नी हैं, परंतु दोनों चोटहिल साक्षी है। कानून में चोटहिल साक्षी का बयान हितबद्ध साक्षी से उच्चतर श्रेणी देते हुए उसके साक्ष्य को महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा ही मत माननीय उच्च न्यायालय ने **दाण्डिक अपील संख्या 208/1996 बाबू एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य निर्णय दिनांकित 01.09.20217** के प्रस्तर 8 में व्यक्त किया है। सामान्यतः चोटहिल साक्षी का बयान विश्वसनीय माना जाता है। जब तक कि रिकार्ड पर उपलब्ध साम्रगी और परिस्थितियां यह दर्शित न करती हो कि घायल द्वारा दुश्मनी व बदले की भावना के चलते किसी निर्दोष को फंसाने की ओर संकेत न करती हों। प्रस्तुत मामले में परीक्षित तथ्य के अभियोजन साक्षीगण द्वारा स्वाभाविक बयान देते हुए जैसे उनके साथ घटना घटित हुई है, वैसे ही उनके द्वारा न्यायालय में बयान दिये गये हैं। बयानों में कोई घटोत्तरी–बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है। यहीं पर यह उल्लिखित करना उचित होगा कि किसी साक्षी का साक्ष्य यदि सत्य एवं विश्वसनीय है तो केवल इस आधार पर कि वह आपस में सगे सम्बन्धी व हितबद्ध साक्षी है, उनके साक्ष्य को नकारा नहीं जायेगा, क्योंकि वास्तव में किसी साक्ष्य का अनुशीलन करते समय न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या गवाह का पूरा बयान सत्यता की झलक से ओत प्रोत है, कहीं उसके बयानो में कोई अपूर्णता या कमजोरी तो

नही है। इन तथ्यों पर विचार कर उसका मूल्यांकन करने के उपरान्त ही न्यायिक निष्कर्ष देना होता है। इस सम्बन्ध में **एच0 नरायन बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य ए0 आई0 आर0 2003 एस0 सी0 2851 की विधि सुसंगत** है, इस मामले मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि किसी साक्षी के साक्ष्य को मात्र इस आधार पर नही नकारा जा सकता कि वह हितबद्ध साक्षी है, यदि अन्यथा उसका साक्ष्य सत्य एवं विश्वसनीय हो। **कुलवन्त सिंह बनाम बिहार राज्य 2007(59)ए0 सी0सी0 पेज 273** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसी कोई विधि नहीं है कि नातेदार साक्षीगण असत्य कथन करेंगे, जब तक ऐसा साक्ष्य न हो कि उन्होंने अभियुक्तगण को मिथ्या आलिप्त किया है, उनके अभिसाक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मंगल लोधा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2011(74)ए0 सी0सी0 पेज 238** में यह अभिनिर्धारित किया है कि नातेदार साक्षीगण के साक्ष्य पर इस आधार पर अविश्वास नही किया जा सकता कि वह परस्पर नातेदार है।

यहीं पर यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों के विचारण में साक्ष्य की गुणवत्ता देखी जाती है। साक्षीगण की संख्या नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 किसी तथ्य को साबित करने के लिए गवाहो की संख्या की अपेक्षा नहीं करता और न ही ऐसा कोई विधायिका का आशय है। साक्ष्य सत्य एवं विश्वसनीय हो तो केवल एक ही साक्ष्य पर दोषसिद्धि की जा सकती है। ऐसा ही मत माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शेख जुम्मन एवं अन्य बनाम बिहार राज्य 2017 (2) सी.सी.एस.सी. 796 एस.सी.** के मामले में व्यक्त किया है। **पृथ्वीपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 1 एस.सी.सी. 10एस.सी.एवं अवतार सिंह बनाम स्टेट आफ हरियाणा ए. आई.आर. 2013 एस.सी. 286** के मामले में माननीय उच्चतम ने कहा कि कानून में साक्षियों की मात्रा, बहूलता व अनेकता की अपेक्षा साक्ष्य के मूल्य, महत्व एवं गुणवत्ता पर बल दिया गया है इसलिए सक्षम न्यायालय एक मात्र साक्षी पर पूर्ण रूप से व सम्पूर्ण रूप से विश्वास व्यक्त करने तथा दोषसिद्धि लिखने के लिए स्वतंत्र है। प्रतिकूल ढंग से वह कई साक्षियों के परिसाक्ष्य के बावजूद अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकेगा यदि उसका साक्ष्य की गुणवत्ता के बारे में समाधान नहीं हो पाता है।

बचाव पक्ष की तरफ से एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया कि

परीक्षित अभियोजन साक्षीगण के बयानो में विरोधाभास है। अतएवं अभियोजन साक्षीगण का साक्ष्य विश्वसनीय एवं ग्राह्य नहीं है। परीक्षित अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य के परिशीलन स यह विनिर्दिष्ट है कि उनके बयानों में ऐसा कोई तात्विक एवं सारवान विरोधाभास नहीं है जो घटना से संबंधित तथ्यों को संदिग्ध व अविश्वसनीय बनाता हो। विस्तृत रूप से की गयी जिरह में आया हुआ तुच्छ श्रेणी का कोई विरोधाभास शेष साक्ष्य को नकारने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इस सम्बन्ध में **विधि व्यवस्था ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 1051 अल्लारखा के. मंसूरी बनाम गुजरात राज्य** सुसंगत है। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि तुच्छ श्रेणी के विरोधाभास अभियोजन साक्ष्य को कमजोर करने के वजाय बल प्रदान करते है क्योंकि उनके द्वारा तोते की तरह रटे रटाये बयान नहीं दिये गये है। अर्थात् अभिसाक्ष्य को छोटे–मोटे विरोधाभासों के आधार पर अविश्वसनीय मानते हुए नहीं नकारा जा सकता। यदि अन्यथा साक्ष्य सत्य एवं विश्वसनीय है तो तुच्छ श्रेणी के विरोधाभासों का लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं होता है।

बचाव पक्ष के तरफ से एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा सम्यक ढंग से विवेचना नहीं की गयी है बल्कि बाला–बाला कार्यवाही करते हुए सरसरी तौर पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित कर दिया गया है। निश्चित तौर पर प्रश्नगत प्रकरण में विवेचना में कुछ त्रुटियां की गयी है परन्तु विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि यदि अभियोजन कहानी, अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य से असंदिग्ध ढंग से साबित हो जाती है तो केवल इस आधार पर कि विवेचना त्रुटिपूर्ण है, के आधार पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त होने के अधिकारी नहीं है। **हेमा बनाम स्टेट 2013 (81ए.सी.सी.,01 सुप्रीम कोर्ट (तीन जजेज् बैंच)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्याालय ने यह स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी है कि अगर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य सत्य एवं विश्वसनीय है तो केवल इस आधार पर कि विवेचना त्रुटिपूर्ण है, अभियेाजन कहानी पर कोई प्रभाव नही पड़ता।

संजय बावरिया बनाम उ0प्र0 राज्य 2016(1) जे0आई0सी0 815 इला0 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य व बचाव पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य को समान दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

जहॉतक बचाव पक्ष के तरफ से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्षी

डी0डब्लू0 1 कमला, डी0डब्लू0–2 गुड्डू, डी0डब्लू0–3 नन्हके व डी0डब्लू0–4 मुन्ना के मौखिक बयानों का प्रश्न है तो इन गवाहों ने अपने–अपने बयान में अन्य बातों के बलावा अभिकथित घटना वाले दिन समय व स्थान पर बेला पीड़ित/घायल व वादी मुकदमा छोटे लाल की उपस्थिति से इंकार किया नहीं किया है और कहा है कि अभिकथित घटना वाले दिन, समय व स्थान पर वादी मुकदमा व उसकी पत्नी बेला उपस्थित थी और उनमें विवाद हुआ है। अभियुक्त भईया खां को इस मामले में झूठा फंसा दिया। बचाव पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि उन्हें की तिथि, समय व वर्ष याद नहीं है, परंतु उनके द्वारा घटना का समय दिन के 12.00 बजे होना बताया गया है, जबकि वादी की ओर से दर्ज करायी गयी एन0सी0आर0 नं0 164/2002, वादी की लिखित तहरीर में घटना का समय शाम 05.00 बजे की बतायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट यह स्पष्ट करना उचित होगा कि अभियुक्त की तरफ से ऐसा कोई कथानक लेकर नहीं आया था कि अभिकथित घटना वाले दिन, समय व स्थान पर पीड़ित/घायल बेला, अभियुक्त भईया खां के खेत पर नहीं गयी हो और उस समय वहां पर अभियुक्त भईया खां उपस्थित न रहा हो। ऐसा कोई सुझाव भी परीक्षित अभियोजन साक्षीगण से बचाव पक्ष द्वारा नहीं दिया गया है कि अभिकथित घटना वाले दिन, समय व स्थान पर पीड़ित/घायल बेला व वादी मुकदमा घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थे। इसके अतिरिक्त वादी की ओर से घटना स्थल पर किसी की उपस्थिति नहीं बनायी गयी है और न ही बचाव पक्ष की ओर से उक्त के संबंध में कोई सुझाव ही दिया गया है, इसके उपरांत भी बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्षी प्रस्तुत किये गये हैं। अतएव इन साक्षीगण का साक्ष्य सत्य एवं विश्वसनीय नहीं है।

पी0डब्लू0 3 कां0 2813 धनीराम वर्मा परीक्षित हुए। न्यायालय में दिये शपथपूर्व बयान में इस साक्षी ने कहा कि दिनांक 27.09.2002 को मैं बाहैसियत कां0 मोहर्रिर थाना मलिहाबाद में कार्यरत था। उस दिन समय 22.00 बजे श्रीमती बेला अपने पति छोटे लाल के साथ आकर एक तहरीर दिया था।तहरीर के आधार पर एन0सी0आर0 नं0 164/2002 धारा 323, 504 भा0दं0सं0 पंजीकृत हुआ, जिसको एस0आई0 सभाजीत सिंह को जोच हेतु दी गयी। एन0सी0आर0 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसका इन्द्राज जी0डी0 नं0 47 पर समय 22.00 बजे दि0 27.09.2002 में कायम किया गया। जिन्हें साक्षी ने क्रमशः प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है।

जहॉतक धारा 3(1)(11) एस.सी. / एस.टी. एक्ट के मामले का प्रश्न है। धारा 3(1)(11) एस.सी. / एस.टी. एक्ट में यह प्रावधानित किया गया है कि *''अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करेगा'।*

इस तरह स्पष्ट है कि धारा 3(1)(11) एस.सी. / एस.टी. ऐक्ट के तहत अभियुक्त को दण्डित किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन द्वारा इस तथ्य को स्थापित करना होगा कि प्रश्नगत प्रकरण का प्रश्न है प्रश्नगत प्रकरण में जैसा कि ऊपर विश्लेषण के उपरांत यह निष्कर्षित किया जा चुका है कि इस मामले में अभिकथित घटना वाले दिन समय व स्थान पर मुल्जिमान द्वारा वादी मुकदमा की पत्नी जो कि अनुसूचित जाति की सदस्या है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला किये जाने, का आरोप है, से संबंधित आरोपित अपराध परीक्षित साक्षीगण के अभिसाक्ष्य से साबित होना नहीं पाया जाता है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अपराध अंतर्गत धारा 354 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(11) एस.सी. / एस.टी. ऐक्ट साबित होना नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण एवं विधि व्यवस्थाओं के अनुशीलन के उपरांत यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष परीक्षित अभियोजन साक्षीगण के अभिसाक्ष्य से आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 का आरोप असंदिग्ध ढंग से साबित करने में अभियोजन सफल रहा है, परंतु अभियोजन अभियुक्त पर आरोप अपराध अंतर्गत धारा 354 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)11 एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट करने के आरोप को असंदिग्ध ढंग से साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। अतः अभियुक्त भईया खां आरोपित अपराधधारा 354 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)11 एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट में दोषमुक्त किये जाने योग्य है, परंतु आरोपित अपरोध अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त भइया खां उर्फ सलीमउल्ला खां को दाण्डिक संख्या 500584 / 2004 मु0अ0सं0 314 / 2004 सरकार बनाम भईया खां के मामले में आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 354 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)11 एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त भइया खां उर्फ सलीमउल्ला खां को दाण्डिक संख्या 500584/2004 मु0अ0सं0 314/2004 सरकार बनाम भईया खां के मामले में आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर हैं। उसके जमानतनामें व बंध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाये। दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 30—10—2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085

<u>लंच बाद</u>

दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हुई। पुकार कराई गयी। अभियुक्त भईया खां उर्फ सलीमुउल्ला खां जमानत पर है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तग को व्यक्तिगत रूप से एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक, एस0सी0/एस0टी0 को सुना गया।

अभियुक्त की तरफ से कथन किये गये कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा पूर्व में कोई अपराध कारित नहीं किया गया है और न ही उसे दण्डित किया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें अर्थदण्ड से दण्डित किया जाये, जबकि अभियोजन का कहना है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें अधिकम दण्ड से दण्डित किये जाने का अनुरोध किया है।

सुनवाई के स्तर पर अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस मामले में अभियुक्त भईया खां उर्फ सलीमुउल्ला खां पर वादी मुकदमा व उसकी पत्नी को गाली गुप्ता देते हुए मार पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने तथा जान से मारने की धमकी देने का अपराध गठित किया। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते अभियुक्त भईया खां उर्फ

सलीमुउल्ला खां अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित पाता हूॅ। तदानुसार अभियुक्त भईया खां उर्फ सलीमुउल्ला खां को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के आरोप में एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किये जाने योग्य है तथा धारा 504 भा0दं0सं0 में पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर पन्द्रह दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किये जाने योग्य है तथा 506 भा0दं0सं0 में पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर पन्द्रह दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक वाद सं0 500854/2002, राज्य बनाम भईया खां मुकदमा अपराध संख्या 314/2022, थाना मलिहाबाद, जिला लखनऊ़ के मामले में अभियुक्त भईया खां उर्फ सलीमुउल्ला खां को आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 323 के आरोप में एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास एवं तथा धारा 504 भा0दं0सं0 में पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर पन्द्रह दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास एवं धारा 506 भा0दं0सं0 में पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर पन्द्रह दिन के अतिरिक्त साधारण कारावासभुगतना होगा।

अर्थदण्ड की धनराशि धारा 357 दं0प्र0सं0 के प्रावधानों के तहत चोटहिलों को प्रतिकर धनराशि के रूप में प्रदान की जाये।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 30—10—2024
विशेष न्यायाधीश एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोशित किया गया।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 30—10—2024
विशेष न्यायाधीश एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085

शैलेन्द्र, आशुलिपिक